छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

एकल पीठ

स्थानांतरण याचिका (दांडिक) क्रमांक 05/2006

<u>प्रकरण में :</u>

याचिकाकर्ता:

सतीश जग्गी, आयु 30 वर्ष, स्व. रामअवतार जग्गी, निवासी द्वारा श्री एम. व्हेरिया परिश्रम, नहर पारा, रायपुर(छ.ग.)

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रत्यर्थीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना, मौदहापारा, रायपुर (छ.ग.)
2. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), लोधी रोड, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली, एनएमडीसी, विश्राम गृह, सिविल लाइन्स, रायपुर (छ.ग.)।
3. अमित जोगी, आयु 29 वर्ष, पिता अजीत प्रमोद जोगी, वर्तमान निवासी-सागौन बंगला, कटोरा तालाब, रायपुर (छ.ग.) और अन्य सभी जिनका नाम आदेश पत्रिकाओं में है।
4. चिमन सिंह, पिता स्व. श्री होम सिंह, निवासी जग्गी रोड, मोरीगाँव, जिला मोरीगाँव, असम, स्थायी निवासी शकुंतला भवन, गंज, जिला भिंड (म.प्र.)।
5. याह्या ढेबर, पिता हाजी ज़िकार ढेबर, निवासी बैजनाथ पारा, रायपुर (छ.ग.)।
6. अभय गोयल, पिता श्री राजेश्वर शरण गोयल, निवासी बी-34, टैगोर नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़।
7. शिवेंद्र सिंह परिहार, पिता श्री कल्याण सिंह परिहार, निवासी शिव मंदिर के पास, पावर हाउस रोड, अमित गैस एजेंसी के समीप, भिलाई (छ.ग.)।
8. फ़िरोज़ सिद्दीकी, पिता के.यू. सिद्दीकी, निवासी क्लस्टर 10, मकान नं. 14, कांशीराम नगर, रायपुर (छ.ग.)।

9. विक्रम शर्मा, पिता रामजी शर्मा, निवासी ग्राम व डाकघर डबोहा, पुलिस थाना भिंड (ग्रामीण), जिला भिंड (म.प्र.)।

10. विनोद सिंह राठौर ऊर्फ फूफे, पुत्र श्यामबीर सिंह राठौर, निवासी एलआईजी 176, दर्पण कॉलोनी, ग्वालियर (म.प्र.)।

11. राकेश कुमार शर्मा ऊर्फ बाबा, पिता श्री तोताराम शर्मा, निवासी आईडीपीएल, बापू ग्राम, ऋषिकेश, जिला देहरादून (उत्तरांचल)।

12. अशोक कुमार भदौरिया ऊर्फ पिंटू, पिता श्री नरेंद्र सिंह भदौरिया, निवासी बजरंग कॉलोनी, बाईपास रोड, पुलिस थाना भिंड (ग्रामीण), जिला भिंड (म.प्र.)।

13. संजय सिंह कुशवाह ऊर्फ चुन्नू, पिता श्री केशव सिंह कुशवाह, निवासी वार्ड क्र. 24, अशोक नगर, जमुना रोड, भिंड (म.प्र.)।

14. राजू भदौरिया, पिता श्री जगदीश भदौरिया, निवासी मेसर्स शिवम बिल्डिंग मटेरियल, बरौली रोड, भिंड (म.प्र.)।

15. रवि सिंह कुशवाह, पिता श्री नाथू सिंह कुशवाह, निवासी ग्राम नुनहटा, पुलिस थाना उमरी, भिंड (म.प्र.)।

16. नरसी शर्मा, पिता सीताराम शर्मा, निवासी मार्फ़त गुलज़ार प्रसाद शर्मा, अशोक नगर, बाईपास रोड, भिंड (म.प्र.)।

17. सत्येंद्र सिंह तोमर, पिता श्री लाल सिंह तोमर, निवासी अशोक नगर, जमुना रोड, वार्ड क्र. 24, भिंड (म.प्र.)।

18. विवेक सिंह भदौरिया, पिता श्री कन्हई सिंह भदौरिया, निवासी -धरम नगर, बाईपास रोड, भिंड (म.प्र.)।

19. लल्ला भदौरिया, पिता मदन सिंह भदौरिया, निवासी ग्राम किसूपुरा, तहसील अटेर, भिंड (म.प्र.)।

20. सुनील गुप्ता, पिता बाबूलाल गुप्ता, निवासी मीरा कॉलोनी, वार्ड क्र. 21, भिंड (म.प्र.)।

21. अनिल पचौरी ऊर्फ अतलु, पिता श्री राधेश्याम पचौरी, निवासी मीरा कॉलोनी, भिंड (म.प्र.) और मार्फ़त शिव कुमार पचौरी, जेल के पीछे, भिंड (म.प्र.)।

22. हरीश चंद्र, पिता गुलजारी प्रसाद, निवासी अशोक नगर, बाईपास रोड, पुलिस लाइन के सामने, भिंड (म.प्र.)।

23. सूर्यकांत तिवारी, पिता स्व. दिलीप राम तिवारी, निवासी लिली चौक, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. आर.सी. त्रिवेदी, पिता स्व. श्री आर.एल. त्रिवेदी, निवासी मकान क्र. 4, सिविल लाइन्स, दुर्ग (छ.ग.)।

25. वी.के. पांडेय, पिता श्री एन.पी. पांडेय, निवासी पुलिस क्वार्टर, सिटी कोतवाली, रायपुर (छ.ग.)।

26. अमरीक सिंह गिल, पिता श्री साधु गिल, निवासी उदया सोसाइटी, टाटीबंध, रायपुर (छ.ग.)।

27. अविनाश सिंह, पिता श्री रणजीत सिंह ऊर्फ रामभगत सिंह, निवासी ग्राम मऊ परसीन, जिला आज़मगढ़ (उ.प्र.)।

28. जंवौल कश्यप, पिता जरमंगल कश्यप, निवासी ग्राम कझा, पुलिस थाना रानीपुर, तहसील मुहम्मदाबाद, जिला मऊ (उ.प्र.)।

29. श्याम सुंदर, पिता शहजाद शर्मा, निवासी ग्राम व डाकघर कझा, पुलिस थाना रानीपुर, जिला मऊ (उ.प्र.)।

30. विनोद सिंह, पिता जितेंद्र सिंह, निवासी ग्राम मिर्जापुर, डाकघर कझा, पुलिस थाना बेनीपुर, जिला मऊ (उ.प्र.)।

31. विश्वनाथ राजभर, पिता जयश्री प्रसाद, निवासी रामकिंकर अस्पताल के सामने, लहर चौक के पास, पुरानी बस्ती, रायपुर (छ.ग.)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सत्र प्रकरण क्रमांक 329/05-"छत्तीसगढ़ राज्य विरुद्ध अमित जोगी एवं अन्य" के प्रकरण में स्थानांतरण और/या न्याय के हित में आवश्यक निर्देशों हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 407 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन।

<u>दिनांक 21.11.2006</u>

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री बी.पी. शर्मा द्वारा उल्लेख किए जाने और अत्यावश्यकता प्रदर्शित किए जाने पर, इस प्रकरण को क्रम से बाहर सुनवाई हेतु लिया गया है।

स्वीकार्यता पर तर्क सुने गए।

आदेश निम्नानुसार पारित किया गया:

आदेश

(दिनांक 21.11.2006)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश:

(1) यह सत्र प्रकरण क्रमांक 329/2005 (राज्य द्वारा सी.बी.आई. विरुद्ध अमित जोगी और 30 अन्य) जो कि सत्र न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.) के न्यायालय में लंबित है, के स्थानांतरण हेतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई याचिका है। यह याचिका सूचनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत की गई है जो कि शिकायतकर्ता/प्रथम मृतक का पुत्र है।

(2) संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के एक नेता, राम अवतार जग्गी की दिनांक 04.06.2003 को लगभग रात 11 बजे रायपुर में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, और इस संबंध में, याचिकाकर्ता द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक 105/2003 के माध्यम से एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसे भारतीय दंड संहिता

की धारा 302 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। मामला सी.बी.आई. को सौंप दिया गया था, और सम्यक् अन्वेषण के पश्चात, सी.बी.आई. ने भारतीय दंड संहिता की धारा 120-ख, 302, 427 और 201/34 तथा आयुध अधिनियम की धारा 25 एवं 27 के अंतर्गत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। दिनांक 08.9.2005 को सत्र न्यायालय को उपार्पित किए जाने के पश्चात, विद्वान सत्र न्यायाधीश, रायपुर ने इस प्रकरण को विचारण हेतु तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय को उपार्पित कर दिया। विचारण के दौरान, उक्त न्यायालय ने लगभग 150 अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य अभिलिखित किए और लगभग 53 साक्षियों का परीक्षण नहीं किया गया। तत्पश्चात, अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा विविध दांडिक प्रकरण क्रमांक 1796/2006 के माध्यम से एक स्थानांतरण याचिका प्रस्तुत की गई और एक आदेश दिनांक 21.6.2006 द्वारा, इस न्यायालय ने इस प्रकरण को तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया और उक्त न्यायालय के समक्ष आगे के विचारण की कार्यवाही प्रारंभ हुई। उस समय, श्री आर.एस. शर्मा सत्र न्यायाधीश, रायपुर थे। यह कथन किया गया है कि श्री आर.एस. शर्मा ने 4 अभियोजन साक्षियों का परीक्षण किया और उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा उद्धृत 21 बचाव साक्षियों का भी परीक्षण किया। तत्पश्चात, उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से, श्री शर्मा का स्थानांतरण रायपुर से जांजगीर-चांपा कर दिया गया और वर्तमान सत्र न्यायाधीश, श्री सन्मान सिंह को नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश के

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रूप में सत्र खंड रायपुर स्थानांतरित किया गया, जिनके समक्ष विचारण की आगे की कार्यवाही प्रारंभ हुई। यह कथन किया गया है कि उन्होंने दो अन्य बचाव साक्षियों का भी परीक्षण किया और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जानकारी के अनुसार, विचारण अब अंतिम निर्णय के चरण में है।

(3) याचिकाकर्ता ने यह याचिका मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की है कि श्री सन्मान सिंह एक गुलाब सिंह के बड़े भाई हैं, जो कांग्रेस (आई) के एक वर्तमान विधायक हैं, और श्री गुलाब सिंह श्री अजीत प्रमोद जोगी के अत्यंत निकट हैं, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 3 (अभियुक्त व्यक्तियों में से एक) के पिता हैं और उसी दल से संबंधित वर्तमान संसद सदस्य भी हैं। याचिका की कंडिका 6 में यह अभिवचन किया गया है कि यह सत्यतापूर्वक विश्वास किया जाता है कि श्री गुलाब सिंह और श्री अजीत प्रमोद जोगी के उस समय से ही अत्यंत निकट हैं जब वे राज्य के मुख्यमंत्री थे, अतः याचिकाकर्ता को यह सद्भाविक एवं वास्तविक आशंका है कि यदि उपरोक्त प्रकरण का विचारण अंततः श्री सन्मान सिंह द्वारा सत्र न्यायाधीश, रायपुर के रूप में पूर्ण किया जाता है, तो उसे न्याय प्राप्त नहीं होगा। उपरोक्त मुख्य आधार के साथ-साथ, याचिकाकर्ता ने यह अतिरिक्त आधार भी लिया है कि यदि एक नया न्यायाधीश, जिसने न तो विचारण के दौरान सी.बी.आई. द्वारा परीक्षित किसी भी अभियोजन साक्षी का साक्ष्य अभिलिखित किया है और न ही अभियुक्त व्यक्तियों एवं लगभग 20 बचाव साक्षियों (जिनका परीक्षण श्री आर.एस. शर्मा द्वारा किया गया था) का परीक्षण

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अभिलिखित किया है, विचारण को इतने विलंबित चरण में जारी रखता है, तो इससे भारी प्रतिकूल प्रभाव कारित होगा। इन आधारों पर याचिकाकर्ता ने प्रार्थना की है कि इस प्रकरण को वर्तमान सत्र न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय से तत्कालीन सत्र न्यायाधीश श्री आर.एस. शर्मा, जो वर्तमान में सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा के रूप में पदस्थ हैं, के न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए, अथवा आवश्यक आदेश पारित करते हुए श्री आर.एस. शर्मा, सत्र न्यायाधीश, जांजगीर-चांपा को यह निर्देश दिया जाए कि वे इस प्रयोजन हेतु रायपुर में शिविर (कैंप) लगाकर उपरोक्त सत्र प्रकरण को पूर्ण करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) तर्कों के समय भी, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने लगभग उन्हीं बिंदुओं को उठाया जिनका अभिवचन उनके द्वारा संदर्भित स्थानांतरण याचिका की कंडिका 6 और 7 में किया गया है।

(5) मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है और स्थानांतरण याचिका के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(6) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 उच्च न्यायालय को प्रकरणों और अपीलों को स्थानांतरित करने की शक्ति प्रदान करती है। धारा 407 की उप-धारा (1) यह उपबंध करती है कि जब कभी उच्च न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि उसके अधीनस्थ किसी दांडिक न्यायालय में निष्पक्ष और पक्षपातरहित जांच या विचारण नहीं हो सकता है, या यह कि असाधारण कठिनाई का कोई विधि का प्रश्न उत्पन्न होने की

संभावना है, या यह कि इस संहिता के किसी उपबंध द्वारा इस धारा के अधीन आदेश अपेक्षित है, या यह पक्षकारों या साक्षियों की सामान्य सुविधा के लिए प्रवृत्त होगा, या न्याय के उद्देश्यों के लिए समीचीन है, तब, वह इस उप-धारा के द्वितीय भाग में यथा उपबंधित प्रकरण के स्थानांतरण का आदेश दे सकता है।

(7) प्रकरणों के स्थानांतरण के संबंध में विधि सुस्थापित है। सर्वोच्च न्यायालय ने **गुरुचरण दास चड्ढा विरुद्ध राजस्थान राज्य, एआईआर 1966 एस.सी. 1418** के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई प्रकरण स्थानांतरित किया जाता है यदि प्रकरण के किसी पक्षकार की ओर से यह उचित आशंका हो कि न्याय नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए यह प्रदर्शित करना आवश्यक नहीं है कि न्याय अनिवार्य रूप से विफल हो जाएगा। वह स्थानांतरण का हकदार है यदि वह ऐसी परिस्थितियां दर्शाता है जिनसे यह अनुमान लगाया जा सके कि उसके मन में कोई आशंका है और वह अभिकथित परिस्थितियों में उचित है। सर्वोच्च न्यायालय ने आगे यह भी अभिनिर्धारित किया कि न्याय प्रशासन के सिद्धांतों में से एक यह है कि न्याय केवल होना ही नहीं चाहिए अपितु वह होता हुआ दिखना भी चाहिए। यद्यपि, केवल यह अभिकथन पर्याप्त नहीं है कि किसी दिए गए मामले में न्याय न होने की आशंका है। न्यायालय को आगे यह भी देखना होता है कि आशंका उचित है या नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आशंका के औचित्य का निर्णय करने हेतु उस व्यक्ति की मनःस्थिति जो आशंका पाले हुए है, निस्संदेह प्रासंगिक है, परंतु केवल इतना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ही पर्याप्त नहीं है। आशंका न केवल मन में होनी चाहिए, अपितु न्यायालय को भी यह एक उचित आशंका प्रतीत होनी चाहिए।

(8) सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **श्रीमती मेनका संजय गांधी एवं अन्य विरुद्ध कुमारी रानी जेठमलानी, एआईआर 1979 एस.सी. 468** के मामले में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि एक निष्पक्ष विचारण का आश्वासन न्याय प्रदान करने की प्रथम अनिवार्यता है और जब स्थानांतरण हेतु कोई प्रस्ताव दिया जाता है तो न्यायालय के विचार करने हेतु मुख्य मानदंड किसी पक्षकार की अतिसंवेदनशीलता या सापेक्ष सुविधा या विधिक सेवाओं की आसान उपलब्धता या इसी तरह की छोटी शिकायतें नहीं होती हैं। लोक न्याय और उसके सहवर्ती वातावरण के दृष्टिकोण से कुछ अधिक ठोस, अधिक बाध्यकारी, अधिक संकटपूर्ण स्थिति आवश्यक है यदि न्यायालय को अपनी स्थानांतरण की शक्ति का प्रयोग करना है। यह मूलभूत सिद्धांत है यद्यपि परिस्थितियां अनगिनत हो सकती हैं और प्रकरण दर प्रकरण भिन्न हो सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यह कहा कि स्थानांतरण के आधारों का परीक्षण इस कसौटी पर किया जाना चाहिए, जिसमें इस नियम को ध्यान में रखा जाए कि सामान्यतः शिकायतकर्ता को अधिकारिता रखने वाले किसी भी न्यायालय को चुनने का अधिकार होता है और अभियुक्त यह निर्देशित नहीं कर सकता कि उसके विरुद्ध मामले का विचारण कहाँ किया जाना चाहिए। न्यायालय ने आगे कहा कि इसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बावजूद, न्याय की प्रक्रिया पक्षकारों को प्रताड़ित करने वाली नहीं होनी चाहिए और उस दृष्टिकोण से न्यायालय परिस्थितियों का मूल्यांकन कर सकता है।

(9) यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उपरोक्त सिद्धांतों को लागू करते हैं, तो यह प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता के मन में व्याप्त आशंका न केवल निराधार है अपितु अनुचित भी है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने स्थानांतरण हेतु मामला बनाने का प्रयास किया है, परंतु उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए आधारों से यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि वह वास्तव में कोई आशंका पाले हुए है और यह अभिकथित परिस्थितियों में उचित है। वस्तुतः, याचिकाकर्ता ने इसके लिए किसी उदाहरण का उल्लेख किए बिना राजनेताओं के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है और अपनी स्वयं की परिकल्पना विकसित की है कि चूंकि न्यायाधीश का भाई एक वर्तमान विधायक है, इसलिए उसे अभियुक्त के पिता द्वारा अपने पद का उपयोग करते हुए उसके माध्यम से प्रभावित किया जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) इस न्यायालय के मत में, यह आशंका उचित नहीं है और इसे सत्र न्यायाधीश के पद के किसी वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी के न्यायालय से सत्र प्रकरण के स्थानांतरण के आधार के रूप में स्वीकार करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिया गया यह अन्य आधार कि वर्तमान सत्र न्यायाधीश द्वारा पूर्व के साक्षियों का परीक्षण न किए जाने के कारण प्रतिकूल प्रभाव

पड़ेगा, इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 407 के अंतर्गत किसी प्रकरण के स्थानांतरण हेतु कोई प्रासंगिक तथ्य नहीं है।

(11) एक अन्य परिस्थिति जो मुझे इस स्तर पर ऐसी याचिका पर विचार न करने के लिए काफी उपयुक्त प्रतीत होती है, वह यह है कि याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी के अनुसार, विचारण अंतिम चरण में है और लगभग 150 अभियोजन साक्षियों और लगभग सभी बचाव साक्षियों का परीक्षण किया जा चुका है और तर्कों की सुनवाई और निर्णय पारित करने के अतिरिक्त कुछ भी किया जाना शेष नहीं है तथा ऐसी स्थिति में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिए गए आधारों पर प्रकरण को स्थानांतरित करने का कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में, मैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **पाल सिंह और अन्य विरुद्ध केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और अन्य, (2005) 12 एससीसी 329** के मामले में दिए गए निर्णय से अपने विचारों को समर्पित पाता हूँ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(12) इस न्यायालय के मत में, ऐसी याचिका पर विचार करने हेतु कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। याचिका में कोई गुण-दोष नहीं है और इसे प्रारंभिक चरण पर ही खारिज किया जाता है..

सही/-
सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur